न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

अपील संख्याः 128/2023 GCMS No.—2023/516

1 प्रभाती देवी पत्नी मंगलराम उर्फ मंगला जाति मीणा निवासी ग्राम ड्योडाचौड, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. लालाराम पुत्र मंगलराम उर्फ मंगला जाति मीणा निवासी ग्राम ड्योडाचौड तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1 रामकरण मीणा पुत्र श्री भौरीलाल मीणा निवासी ग्राम रामरतनपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. नानगराम पुत्र स्व. मंगलाराम उर्फ मंगला जाति मीणा निवासी ग्राम ड्योडाचौड तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
4. केलीराम पुत्र रामकरण
5. जगदीश पुत्र दीपा
6. रामकरण पुत्र दीपा
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम ड्योडाचौड तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 616 दिनांक 10.01.2020 तहसीलदार जी महोदय बस्सी, द्वारा अवैध तस्दीक किया गया।

उपस्थितः—
1. श्री नरेन्द्र कुमार यादव अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री कालूराम मीणा अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 4 लगायत 6 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 06.02.2024

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार बस्सी के निर्णय दिनांक 10.01.2020 जिससे नामान्तरकरण संख्या 616 वाके ग्राम ड्योडाचौड, तहसील बस्सी रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के नाम स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 26.09.2023 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर अधिवक्ता श्री रघुवीर सिंह राठौड उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 4 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री कालूराम मीणा उपस्थित आये। तहसीलदार बस्सी से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी एवं अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 द्वारा धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र के जवाब को बहस माने जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बह में अंकित तथ्यों अनुसार ग्राम ड्योडाचौड तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित हाल आराजी खसरा नंबर 284 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा के अपीलांट्स हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार थे। उक्त खसरा नंबर 284

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

के बाबत एक विशिष्ट मुख्त्यारनामा सीताराम मीणा पुत्र श्री भौरीलाल मीणा के नाम से दिनांक 04.01.2003 को नोटेरी पब्लिक से खाली कागजात पर निष्पादित करवा लिया। उक्त मुख्त्यारआम को दिनांक 06.02.2003 को अपीलांट्स द्वारा उक्त व्यक्ति को विधिक नोटिस प्रदत्त कर तथाकथित मुख्त्यारआम को निरस्त भी करवा दिया गया। किन्तु सीताराम मीणा ने रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ने अपने भाई के पक्ष में अवैध रूप से पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 11.07.2005 को निष्पादित करवा दिया गया। अपीलांट्स को उक्त पंजीकृत विकय पत्र की जानकारी होते ही उक्त विकय पत्र के विरूद्ध न्यायालय अति0 जिल न्यायाधीश जयपुर के समक्ष बाबत निरस्त किये जाने विकय पत्र एक नियमित वाद प्रस्तुत कर दिया गया तथा एक अन्य वाद अपीलांट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष भी प्रभाती देवी बनाम रामकरण व अन्य प्रकरण संख्या 474/2008 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 266/07 प्रस्तुत किया जिसमें उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा दिनांक 29.11.2007 को अन्तिम निर्णय बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदत्त करते हुये अपीलाधीन आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश पारित किया गया जिसको किसी भी न्यायालय में आज दिनांक तक कोई चुनौती नहीं दी गई तथा उक्त आदेश का अंकन भी राजस्व रिकॉर्ड में आदिनांक तक दर्ज है। किन्तु बावजूद स्थगन अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पाडेन्ट संख्या 1 को लाभ पहुंचाने के लिये अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। नायब तहसीलदार बस्सी के आदेश दिनांक 17.08.2020 की रिपोर्ट के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तकरण की शिकायत होने पर स्वयं भू अभिलेख निरीक्षक महोदय द्वारा प्रकरण की जांच करते हुए पटवारी हल्का पर गंभीर लापरवाही किये जाने के आरोप साबिज हुये है। अपीलाधीन नामान्तकरण की पडत पर पटवारी हल्का की रिपोट में स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी अंकित है जबकि तहसील के आदेश कमांक 248 दिनांक 06.01.2020 की पालना में अंकित होने के साथ-साथ तहसीलदार का अन्य आदेश कमांक/भू.अ./2005/754 दिनांक 02.08.2005 की पालना में सम्पूर्ण खातों पर अस्थाई निषेधाज्ञा का नोट अंकित होने के बावजूद अवैध रूप से स्थगन आदेश को हटाकर पटवारी हल्का द्वार घोर लापरवाही बरती गई है। अपीलांट का वाद पत्र न्यायालय जिला न्यायाधीश जयपुर द्वारा दिनांक 22.11.2019 को खारिज फरमा दिये जाने का अवैध नाजायज लाभ पटवारी हल्का द्वारा रेस्पाडेन्ट को प्रदत्त किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की है। नायब तहसीलदार बस्सी द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 18.08.2020 से यह बखुबी साबित है कि रेस्पाडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.12.2019 के माध्यम से खसरा नंबर 284 से स्थगन का नोट हटाकर अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करवा लिया। स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही की गयी है जिसको आईएलआर व तहसीलदार बस्सी द्वारा भी विधि अनुरूप जांच नहीं की गयी इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट संख्या 1 ग्रामीण परिवेश की महिला है उसे अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी नहीं रही है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर तहसीलदार बस्सी का आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 616 दिनांक 10.01.2020 निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस अनुसार अपीलांट संख्या 1,2 एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 3 आपस में माता पुत्र संबंधी है और एक ही परिवार के सदस्य है। अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी अपीलांट को भली भांति रही है। अपीलांट ने भिन्न–भिन्न राजकीय कार्यालयों में शिकायत की थी। अपील प्रथम दृष्टया मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। नामान्तकरण तस्दीक करते समय राजस्व भू अभिलेखों पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश अंकित नहीं था। खसरा नंबर 284 के खातेदार अपीलांट एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के मुख्तयारआम सीताराम मीणा द्वारा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के हक में दिनांक 08.07.2005 को उपपंजीयक बस्सी के समक्ष उपस्थित होकर विक्रय पत्र निष्पादित करवाया है। उक्त विक्रय पत्र को अपीलांट ने माननीय सिविल न्यायालय में चुनौती दी एवं अपीलांट का वाद माननीय सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.2019 को खारिज किया जा चुका है। अपीलांट व अन्य सहकृषकों ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष दिनांक 24.01.2005 को वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जो उनवानी प्रभाती बनाम जगदीश दिनांक 17.05.2018 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा खारिज फरमा दिया गया। इसलिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का स्थगन आदेश दिनांक 02.08.2005 स्वतः ही प्रभावहीन हो गया। अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों के आधार अपील पेश की गयी है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार बस्सी द्वारा मुताबिक पंजीबद्व विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया है। तहसीलदार बस्सी द्वारा न्यायोचित आदेश पारित किया है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 4 लगायत 6 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि रेस्पाडेन्ट्स अपीलाधीन भूमि में सहखातेदार काश्तकार है। अपीलाधीन नामान्तकरण के संबंध में रेस्पाडेन्ट पीडित नहीं है। माननीय न्यायालय न्यायोचित आदेश फरमाने की कृपा करें।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अन्दर मियाद मानी जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन मूल नामान्तकरण के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 616 पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक मुख्त्यारनामा व पंजीबद्व विक्रय पत्र एवं न्यायालय जिला न्यायाधीश जयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.11.2019 के आधार पर नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के हक में दर्ज किया गया। जिस पर गिरदावर हल्का द्वारा जांच की गयी एवं अंकन दुरूस्त होने की रिपोर्ट की जिसके आधार पर तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 10.01.2020 को स्वीकार किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि जिस विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है उस विक्रय पत्र को अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला न्यायाधीश जयपुर के समक्ष चुनौती दी गयी। न्यायालय जिला न्यायाधीश द्वारा आदेश दिनांक 22.11.2019 से अपीलांट का वाद बाबत विक्रय पत्र निरस्त किये जाने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

खारिज कर दिया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में अपीलांट का वाद बउनवानी प्रभाती व अन्य बनाम जगदीश भी दिनांक 17.05.2018 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा खारिज किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक के समय अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में स्थगन आदेश अंकित होने का अपील में उज्र किया है। जिस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध खसरा नंबर 284 की प्रमाणित जमाबंदीयों क्रमशः संवत् 2060–2063, 2064–2067, 2068–2071 में स्थगन का नोट अंकित है किन्तु वर्ष जमाबंदी संवत् 2076 की जमाबंदी में स्थगन का नोट अंकित नहीं था। जिस बाबत अपीलांट द्वारा तहसीलदार बस्सी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये किन्तु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मूल वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी में दिनांक 17.05.2018 को खारिज हो चुका है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश भी अपीलाधीन आराजीयात पर रहा है तो अपीलांट को संबंधित न्यायालय में अवमानना की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। न्यायालय हाजा का श्रवण क्षेत्राधिकार नामान्तकरण के बिन्दु पर है एवं नामान्तकरण रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर भरा गया जिसको निरस्त किये जाने के संबंध में अपीलांट का वाद माननीय सिविल न्यायालय के द्वारा खारिज किया जा चुका है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट के हक, हकूक अधिकार किसी प्रकार से है तो भी अधिकारों की धोषणा नियमित वाद में ही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायाल की मिसल निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)